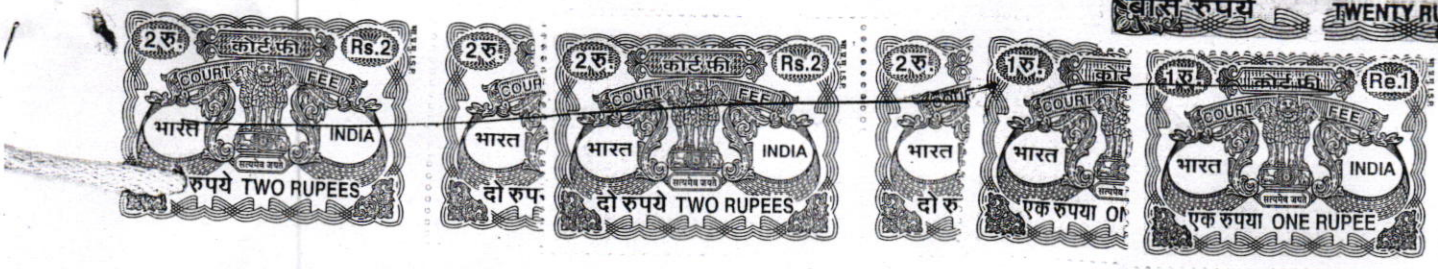

- 1 -

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल (मध्यप्रदेश) ग्वालियर

प्र.क्र........नि.../2018 III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/0805

निगरानीकर्ता.........................बलवीरसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह जाति रघुवंशी नि0

ग्राम सांदोह तहसील नईसरांय जिला-

अशोकनगर म.प्र.(संभाग ग्वालियर)

बमान

प्रतिनिगरानीकर्ता.................... फूलवाई पत्नि...रमेशसिंह....जाति रघुवंशी

नि0 ग्राम सांदोह तह.नईसरांय जिला-

अशोकनगर म.प्र.

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र.भू.रा.सं.1959</u>

<u>विरुद्ध प्रकरण क्र.8अ6/16-17 आदेश दिनांक 25/1/2018 पारित</u>

<u>द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील</u>

<u>नईसरांय जिला-अशोकनगर म.प्र.</u>

माननीय महोदय,

1. यहकि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नईसरांय का निगरानी अधीन आलोच आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत एवं विधि की

पेज 2 पर

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III/निग./अशोकनगर/अ.श./2018/0805

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	बलबीर सिंह कार्यवाही तथा आदेश फूलबाई	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02-02-2018	आवेदक की ओर से श्री बिनोद श्रीवास्तव, अभि.उप. । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25.01.2018 का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में पक्षकार बनाए जाने का आवेदन निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर तर्क हेतु नियत किया गया है। (अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक है वह यह अनावेदक है) प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन को अस्वीकार करने के संबंध में कारण भी अभिलिखित नहीं किया गया है कि पक्षकार बनाए जाने का आवेदन किन कारणों से अस्वीकार है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश विधिक प्रंकिया के विपरीत होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप परिलक्षितं नहीं हो रहा है।	

— 3

-3-

बलबीर सिंह / कुलवाई

पु० क्रं० III / निग० / अशोकनगर / भू.रा. / 2018 / 0805

	उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत जबाब/आपत्ति आवेदनों का सकारण निराकरण करते हुए प्रकरण में बोलता हुआ आदेश पारित करें। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	